भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 570

गुरूवार, 21 **जुलाई, 2022/30 आषाढ़**, **1944 (शक)**

एबीआरवाई के अंतर्गत लाभार्थी

570. श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उक्त योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितनी निधि संस्वीकृत/आबंटित और उपयोग की गई है;

(ख) देश में इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने लाभार्थियों को कवर किया गया है और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं व क्या उपलब्धियाँ रही हैं और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों में इस योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से पूर्व, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं दिनांक 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, वे भी लाभ के लिए पात्र हैं।
- भारत सरकार, ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है।
- यह योजना दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई थी और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के लिए पंजीकरण 31 मार्च 2022 तक चालू था।

इस योजना का लक्ष्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभ पहुंचाना था। इस योजना के तहत कुल पंजीकृत 75.11 लाख है। दिनांक 13.07.2022 तक, देश में 1.50 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

योजना का दायरा बढ़ाने के लिए, पंजीकरण की अंतिम तिथि को नौ माह अर्थात् दिनांक 20.06.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ाया गया था।

*****